

## Form 1B

(rule 8)

**Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in the list of voters**

To

The District Electoral Officer \_\_\_\_\_,  
 Gram Panchayat \_\_\_\_\_, Ward No. \_\_\_\_\_,  
 Block \_\_\_\_\_, Panchayat Samiti \_\_\_\_\_, Ward No. \_\_\_\_\_,  
 Zila Parishad \_\_\_\_\_, Ward No. \_\_\_\_\_

OR

Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (P)

SPACE FOR  
 PASTING ONE  
 RECENT  
 PASSPORT SIZE  
 PHOTOGRAPH  
 (3.5 cm X 3.5 cm)  
 SHOWING  
 FRONTAL VIEW  
 OF FULL FACE  
 WITHIN THIS  
 BOX.

Sir,

I object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the list of voters of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad \_\_\_\_\_ Ward No. \_\_\_\_\_. Particulars in support of my objection are given below:

I submit that the entry relating to the person named below is required to be deleted for the reasons stated hereunder:

| I. Applicant's details                  | Name | Surname (if any) |
|---|------|------------------|
|   |      |                  |
| *Father's<br>Mother's Name<br>Husband's | Name | Surname (if any) |
|   |      |                  |

II. That the name of Sh./Smt./Kumari \_\_\_\_\_ mentioned at Sr.No. \_\_\_\_\_ of Ward No. \_\_\_\_\_ in the list of voters of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad, but the area in which the said person is residing does not fall in the limit of the said ward of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad.

III. That the name of Sh./Smt./Kumari \_\_\_\_\_ is included in ward No. \_\_\_\_\_ instead of ward No. \_\_\_\_\_.

IV. Declaration

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place : \_\_\_\_\_  
 Date : \_\_\_\_\_

(Signature or thumb impression of the applicant/Objector)  
 Complete Address of the applicant \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Mobile No. \_\_\_\_\_

**Note:** Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 171 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

\*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken

(To be filled by the District Electoral Officer or the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (P) as the case may be

The application of Shri/Smt/Km. \_\_\_\_\_ for objecting to the inclusion of name or seeking deletion of name in the list of voters in Form 1B has been accepted\*/rejected\*.

Detailed reasons for acceptance or rejection

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Place:<br>Date: | Signature of District Electoral Officer or D.C.-cum-DEO(P) | (Seal of the Signature of District Electoral Officer or D.C.-cum-DEO(P)) |
|-----------------|--|--|

\*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer e.g. BLO, Designated Officer, Supervisory Officer

Received an application in Form 1B from Sh./Smt./Kumari \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ and entered at sr. no. \_\_\_\_\_ of the entry register.

Date and time fixed for hearing.....

(Receipt for office use)

Obtained the information about the date and time fixed for the hearing of claim/objection

Dated: \_\_\_\_\_ Signature and thumb impression of the applicant

**Receipt of application and information about the date of hearing**  
(for applicant)

An application has been received in Form 1B from Sh./Smt./Kumari \_\_\_\_\_ who is resident of village \_\_\_\_\_

2. The hearing in the application will be done by the District Electoral Officer at his office situated at \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_. He/She is directed to appear for hearing alongwith necessary documents/information.

Date: \_\_\_\_\_ Signature of the officer receiving the application on Behalf of the District Electoral Officer or D.C.-cum-D.E.O. (Address \_\_\_\_\_)

11. In the said rules, Form 1C and 1D shall be omitted.

12. In the said rules, in Form 1E and 1F for the words, sign, figure and bracket "[see rule 9A (5)]" the words, signs, figures and brackets "[see rule 8 (4) (ii)]" shall be substituted.

SUDHIR RAJPAL,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Development and Panchayats Department.

प्ररूप-1ख  
[दिखिए नियम 8]

मतदाता सूची में नाम को शामिल करने या हटाये जाने बारे आक्षेप हेतु आवेदन

सेवा में  
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)  
ग्राम पंचायत.....वार्ड संख्या.....  
पंचायत समिति .....वार्ड संख्या .....  
जिला परिषद्.....वार्ड संख्या.....

या  
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत).....,  
महोदय,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5 सेंटीमीटर X 3.5 सेंटीमीटर जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चहरे के सामन की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान।

मैं, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् की मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये जा रहे हैं:-

मैं निवेदन करता हूँ कि / नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:-

|                      |     |                    |
|----------------------|-----|--------------------|
| I. आवेदक के ब्यौरे   | नाम | उपनाम (यदि कोई है) |
|                      |     |                    |
| पिता/माता/पति का नाम | नाम | उपनाम (यदि कोई है) |
|                      |     |                    |

II. यह कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ का नाम ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् की \_\_\_\_\_ मतदाता सूची की वार्ड संख्या \_\_\_\_\_ की क्रम संख्या \_\_\_\_\_ पर वर्णित है, किन्तु यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् की सीमा में नहीं आता है।

III. यह कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ का नाम वार्ड संख्या \_\_\_\_\_ के बजाय वार्ड संख्या \_\_\_\_\_ में शामिल किया गया है।

IV. घोषणा:  
मैं, एतद् द्वारा, घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान:- आवेदक/आक्षेप कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान  
तिथि:- आवेदक का पूरा पता.....  
नोबार्डल संख्या .....

टिप्पण:- कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, (1994 का II) की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।

\* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कारवाई के ब्यौरे  
(जिला निर्वाचक अधिकारी या उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... का प्ररूप 1ख में मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर या नाम हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन \*स्वीकार कर लिया गया है /\* अस्वीकार कर दिया गया है। स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए दिस्तृत कारण:

-245-

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| स्थान:<br>तिथि: | जिला निर्वाचक अधिकारी या<br>उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी<br>(पंचायत) के हस्ताक्षर | जिला निर्वाचक अधिकारी या<br>(उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी<br>(पंचायत) की मोहर) |
|-----------------|---|--|

अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय स्तरीय अधिकारी अथवा बृहत् स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

\*\*श्री/श्रीमती/कुमारी.....

\*\*पता.....

से प्ररूप 1ख में आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या.....में दर्ज किया गया है।

सुनवाई के लिए नियत तिथि तथा समय.....

तिथि:.....

उपायुक्त-एवं-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)की  
ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी  
का हस्ताक्षर

(पता.....

.....)

(कार्यालय उपयोग के लिए पावती)

दावा/आक्षेप की सुनवाई के लिए नियत तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

तिथि \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदक का पूरा पता \_\_\_\_\_

मोबाईल संख्या \_\_\_\_\_

आवेदन पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बंधित सूचना  
(आवेदक के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो, गांव..... का निवासी है, से प्ररूप 1 ख में आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान..... में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक..... को .....बजे की जायेगी। उसे आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ सुनवाई के लिये उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

तिथि.....

जिला निर्वाचन अधिकारी या  
उपायुक्त-एवं-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की  
ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी  
का हस्ताक्षर  
(पता).....

.....)।

11. उक्त-नियमों में, प्ररूप 1ग और 1घ का लोप कर दिया जाएगा।
12. उक्त-नियमों में, प्ररूप 1ड और 1च में, "[देखिए नियम 9क (5)]" शब्द, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर, "[देखिए नियम 8 (4)(ii)]" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

सुधीर राजपाल,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।